

अनुमति की शर्तें ।

- (1) नया भवन/पूरा/बूझण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करता है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अधिपूति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवश्यक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) लौकिक नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत भवन को जा सवाली है ।

एक शिड्डी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी + 1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 688 दिनांक 25/08/2020
 मांगीका 1 मोतीलाल देवर एन 2 मौराम सैनु
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवश्यक P.No = 201 चौपामनी इडमिग को
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3555/- जमा
 करिये रसीद संख्या 969/2764/2765
 दिनांक 25/08/2020 को जमा करा दी है ।

25/8/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Handwritten signature)

9214/3/402
मौराम सैनु